

अशासकीय पत्र संख्या-1/शा0/113/2018-1/76/2018
लखनऊ: दिनांक: 21 मार्च, 2019

08वां आवंटन
अनुदान संख्या-61 (आयोजनेत्तर)
लेखाशीर्षक-3604001960301-28

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
पंचायतीराज निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-7/2019/बी-2-139/दस-2019-2/2018 दिनांक 30 मार्च, 2019 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-61 में पंचायतीराज संस्थाओं हेतु व्यवस्थित सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि रू0-4875.00 करोड़ में से संस्तुति सं0-23 के अनुसार पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु मात्राकृत 0.15% धनराशि रू0 7.3125 करोड़ (रू0 सात करोड़ इक्कतीस लाख पच्चीस हजार मात्र) निम्न प्रकार स्वीकृत की गयी है-

(धनराशि लाख में)

क्र.सं.	निकाय	प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु 0.15% धनराशि
1	जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों हेतु	292.500
2	ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों हेतु	73.125
3	ग्राम पंचायतों हेतु	365.625
	योग	731.250

उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जा रही है:-

1-उक्त धनराशियों को निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के बैंक खाते में जमा किया जायेगा।

2-उक्त धनराशि नियमानुसार उन्हीं कार्यों हेतु व्यय की जायेगी, जिन कार्यों के लिए वह आवंटित की जा रही है।

3-उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-61 के अंतर्गत निम्नांकित लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.सं.	निकाय का नाम	लेखाशीर्षक	धनराशि
1	जिला परिषदों/ जिला स्तरीय पंचायतों हेतु	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-6-जिला परिषदों/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन"	292.50
2	ब्लॉक पंचायतों/ मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों हेतु	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-197-ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन"	73.125
3	ग्राम पंचायतों हेतु	"3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-198- ग्राम पंचायतों को	365.625

		सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-0301-सामान्य समनुदेशन-28-समनुदेशन"	
		योग	731.250

उक्त आवंटित की जा रही धनराशि को कोषागार से तत्काल आहरित कर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के बैंक खाते में जमा किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं०-132 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

(मासूम अली सरवर)
निदेशक,
पंचायतीराज उ०प्र०।

संख्या-1/शा०/113/1/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ० प्र० शासन।
- 2-विशेष सचिव, वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3-विशेष सचिव/वित्तीय सलाहकार, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के संदर्भित पत्र दिनांक 30.03.2019 के क्रम में।
- 4-मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 6-निदेशक, पंचायतीराज (लेखा) इन्दिरा भवन दसवां तल लखनऊ।
- 7-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ०प्र० इलाहाबाद।
- 8-वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद-211001
- 9-उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायतीराज, उ०प्र० शासन।
- 10-संयुक्त निदेशक (प्रिट), पंचायतीराज निदेशालय, उ०प्र०।
- 11-उपनिदेशक (पं०)/योजना प्रभारी, राज्य वित्त आयोग, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश।
- 12-एस०पी०एम०यू०, पंचायतीराज निदेशालय को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।



(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ०प्र०।